


बुलेटिन

उ०प्र० वन निगम से वनोपज क्रय किये जाने हेतु समस्त क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि:—

पूर्व में शर्त संख्या—5.3 में लाट के अनुमोदन की सूचना हाथ से अथवा रजिस्ट्री द्वारा डिपो स्तर से प्रेषित किये जाने का प्राविधान था। अब लाट के अनुमोदन की सूचना क्रेता को ई—मेल/एस०एम०एस० के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

पूर्व में शर्त संख्या—9 में लाट के अनुमोदन के पश्चात धनराशि जमा करने हेतु निर्धारित अवधि 24 दिन के भीतर थी। अब यह व्यवस्था 20 दिन के भीतर कर दी गई है।

यह प्रक्रिया दिनांक 01.12.2021 से प्रभावी होगी।


महाप्रबन्धक(विपणन)

